भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली 21.07.2017

प्रैस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या 15 वित्तीय वर्ष 2015-16 से संबन्धित थलसेना, आयुध निर्माणियों, रक्षा विभाग आज संसद में प्रस्तुत

प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2015-16 से संबन्धित थलसेना, आयुध निर्माणियों, रक्षा विभाग, थल सेना से संबंधित रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सैन्य अभियंता सेवाएं तथा सीमा सड़क संगठन से संबंधित रक्षा मंत्रालय की परियोजनाओं/स्कीमों की वित्तीय लेन-देन तथा निष्पादन समीक्षाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम समाविष्ट हैं।

महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं ;

विवाहितों के लिए आवास परियोजना (एम ए पी) महानिदेशालय का कार्यचालन

रक्षा सेना कार्मिकों के लिए विवाहितों के आवास की कमी को दूर करने हेतु शीघ्र तथा समयबद्ध तरीके से आवासों का निर्माण करने के लिए एक विशेष संगठन के रूप में डी जी एम ए पी का गठन किया गया था। निदेशालय की लेखापरीक्षा से पता चला कि 1,98,881 आवास यूनिटों (डी यू), जिनका 2002 से लेकर प्रत्येक चार वर्ष के चार चरणों में निर्माण किया जाना था, उसके लक्ष्य के प्रति मार्च 2016 तक केवल 80,692 डी यू का ही निर्माण किया गया था। स्टेशनों का गलत वरीयता निर्धारण, आवास की कमी का गलत निर्धारण तथा प्राधिकरण से अधिक आवास के निर्माण ने इस कमी के प्रभाव को अधिक तीव्र बनाया।

(पैराग्राफ 2.1)

माइक्रो लाइट वायुयान की अधिप्राप्ति एवं पूर्ण मरम्मत

महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर (डी जी एन सी सी) द्वारा प्रचलित नीति से विचलित होते हुए उपलब्ध माइक्रो लाइट वायुयान के 34 इंजिनों की पूर्ण मरम्मत के लिए, नए इंजनों की लागत के 50 प्रतिशत से ज्यादा कीमत पर संविदा की गई। इसके अलावा, उपलब्ध बेड़े के कम उपयोग के बावजूद ₹52.91 करोड़ की लागत पर 110 अतिरिक्त माइक्रो लाइट वायुयान खरीदे गये ।

(पैराग्राफ 2.3)

रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाले रेल वैगनों/डिब्बों का प्रबंधन

रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाले रेल वैगनों/डिब्बों के प्रबंधन की लेखापरीक्षा में 17 ए सी डिब्बों/सैन्य लंगरों का अधिक स्केलिंग (₹50 करोड़), अग्रिम भुगतान पर ब्याज की हानि (₹23.87 करोड़), सैन्य स्पेशल ट्रेनों के लागत परिकलन में एकरूपता न होने के कारण अधिक भुगतान ₹30.44 करोड़), अतिरिक्त रेल सुविधा (ए आर एफ) परियोजनाओं की निगरानी न करना तथा ए आर एफ परियोजनाओं के कारण रेलवे को दिए गए ₹356 करोड़ का असमायोजन जैसी विभिन्न कमियां देखी गईं। इन कमियों के बावजूद, रेलवे द्वारा रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाले इन रेल वैगनों/डिब्बों के वाणिज्यिक उपयोग की जाँच करने के लिए सेना मुख्यालय में कोई तंत्र नहीं है।

(पैराग्राफ 3.1)

थल सेना में गोलाबारूद प्रबंधन-अनुवर्ती लेखापरीक्षा

इस अनुच्छेद/ प्रतिवेदन की विषय-वस्तु हेतु प्रासंगिक प्रतिवेदन के मुद्रित संस्करण का सन्दर्भ लें

(पैराग्राफ3.2)

सैन्य स्टेशन में लगे मोबाइल टावरों के संदर्भ में किराए एवं प्रीमियम की गैर वसूली के कारण हानि

चण्डीमंदिर सैन्य स्टेशन में निजी टेलीफोन कम्पनियों के 13 मोबाइल टावरों को रक्षा मंत्रालय के अपेक्षित अनुमोदन के बिना ही लगा दिया गया, जिससे किराए एवं प्रीमियम की गैर वसूली के कारण ₹4.33 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ3.4)

कैटल पेरीमीटर फैंसिंग पर अनावश्यक व्यय

जेनरल ऑफिसर कमांडिंग (जी ओ सी), मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र ने दिल्ली छावनी में विवाहित अधिकारियों के आवास के चारों ओर कैटल पेरीमीटर फैंसिंग के निर्माण हेतु कार्य को खण्डशःसंस्वीकृति प्रदान की, यद्यपि परिसर के चारों तरफ पहले से ही चारदीवारी मौजूद थी। जिसके परिणामस्वरूप ₹3.42 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ3.6)

दोषपूर्ण उपकरणों की खरीद की वजह से नुकसान

महानिदेशक सैन्य आसूचना ने 20 फोटो अंकन प्रणालियों की अधिप्राप्ति में संविदा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रत्येक प्रणाली के लिए अलग-अलग निष्पादन बांड और वारंटी बांडों को स्वीकार किया था। ग्यारह प्रणालियाँ 3 से 22 महीने के अंदर निष्क्रिय हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप ₹21.28 करोड़ की हानि हुई। प्रणालियों की सुपुर्दगी तथा वारंटी अवधि के दौरान फर्म के खराब निष्पादन के बावजूद वारंटी बांडों को उनके नकदीकरण के बिना ही समाप्त होने दिया गया।

(पैराग्राफ 3.7)

कार्य के निष्पादन पर अनुचित व्यय

फस्ट-इन-फस्ट आऊट ऑपरेशन की प्रणाली पर कैंटीलीवर टाइप रैक्स की आवश्यकता के प्रति 2000 रैकस लास्ट-इन-फस्ट-आऊट आपरेशन प्रणाली के साथ ₹5.88 करोड़ की लागत पर निर्माण कराया गया। इस प्रकार ₹5.88 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ। इसके अतिरिक्त, अनुचित विचलन आदेश देकर संविदाकार को ₹1.57 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ 4.3)

विद्युत प्रभारों के लिए ₹32.13 करोड़ का अधिक भुगतान

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (एम एस ई डी सी एल) ने अगस्त 2012 में लोक सेवांए प्रदान करने वाले उपभोक्ताओं, जिनमें रक्षा स्थापनाएं भी सम्मिलित थीं, के लिए एक नयी शुल्क-दर लागू की। एम एस ई डी सी एल ने इसके अतिरिक्त, लोक सेवाओं की श्रेणी में आने वाली सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं एवं अस्पतालों तथा अन्य रक्षा स्थापनाओं के लिए जून 2015 में एक अलग शुल्क-दर लागू की। तथापि, सात दुर्ग अभियंता, जिन्हें रक्षा शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों तथा अन्य रक्षा स्थापनाओं को आपूर्ति करने हेतु एम एस ई डी सी एल से थोक में विद्युत की प्राप्ति हुई, एम एस इ डी सी एल को भुगतान करने से पूर्व लगाई गई शुल्क-दर की परिशुद्धता की जाँच करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹32.13 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 4.5)

परिसंपत्तियों का उपयोग न होना

मुख्य अभियंता,बरेली द्वारा ड्राइंग्स में बाइपास सड़क का स्पष्ट प्रावधान करने और संविदा में पूर्ण कार्य क्षेत्र को शामिल करने में विफल होने के परिणामस्वरूप सड़क निर्माण कार्य पूरा नही हो पाया था। परिणामस्वरूप, ₹7.65 करोड़ की लागत पर मई 2014 में निर्मित विस्फोटक डम्प का उपयोग नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ 4.6)

एक एकीकृत ऐरोस्टेट निगरानी प्रणाली का विकास

ऐरोस्टेट निगरानी प्रणाली के विकास के लिए एक परियोजना के अंतर्गत डी आर डी ओ की प्रयोगशाला द्वारा ₹6.20 करोड़ की लागत पर एक गुब्बारे का आयात तर्कसंगत नहीं है । इसके अलावा, ₹49.50 करोड़ व्यय करने के बावजूद परियोजना अपने उद्देश्य को प्राप्त नही कर सकी ।

(पैराग्राफ 6.1)

₹19.53 करोड़ का निष्फल व्यय

सेना की माँग के अनुसार 1200 मी. और 1500 मी. की दूरी में मिसाइल को प्रदर्शित करने के लिए युद्ध वाहन अनुसंधान एवं विकास स्थापना (सी वी आर डी ई), आवाड़ी ने 20 एल ए एच ए टी मिसाइलों की अधिप्राप्ति की। मिसाइल की स्थिरता से संबंधित तकनीकी कमियों के कारण विदेशी आपूर्तिकर्ता के प्रतिबंध के बावजूद यह अधिप्राप्ति की गई थी। प्रदर्शन परीक्षणों के दौरान 1200 मी. से 1500 मी. के निर्धारित मानक/दूरी प्राप्त करने में मिसाइलें विफल रहीं। सेना ने उस मिसाइल को लेने से इंकार किया। इस प्रकार, आपूर्तिकर्ता को किया गया ₹19.53 करोड़ का भुगतान निष्फल हुआ।

(पैराग्राफ 6.3)

सी॰एन॰सी॰ मशीनों के चलन के बाद श्रम अनुमानों में संशोधन न करना एवं उजरती कार्य लाभ का गलत भुगतान

आयुध फैक्टरियों को कम्प्यूटर नियंत्रित संख्यानुसार (सी॰एन॰सी॰) मशीनों के समावेशन के पश्चात श्रम अनुमानों को संशोधित करने की आवश्यकता है। उत्पादन के प्रत्येक मद के लिए अनुमान इकाई श्रम लागत को परिमाणित करता है एवं श्रम नियोजन, परिनियोजन और लागतों पर नियंत्रण के लिए एक नमूने के रूप में कार्य करता है। परंतु परीक्षित किए गए दो-तिहाई प्रतिदर्श मामलों में चयनित चार फैक्टरियों ने श्रम अनुमानों का संशोधन नहीं किया था।

फैक्ट्रियों ने उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों से हटते हुए आवश्यक श्रम घंटों **(**एस॰एम॰एच**)** का अधिक-अनुमान लगाया एवं उपलब्ध एस॰एम॰एच॰ का कम अनुमान लगाया। लक्षित एस॰एम॰एच॰ और उपलब्ध एस॰एम॰एच॰ के अविश्वसनीय होने पर फैक्टरियों में श्रम नियोजन उस हद तक त्रुटिपूर्ण था। एम॰एस॰एफ़, इशापुर में 102 में से 99 मामलों में तीन उत्पादन कारखानों में वास्तविक परिणामी एस॰एम॰एच॰ प्रतिवेदित किए गए से कम था। परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष औद्योगिक कर्मचारियों को समुदित 2.60 करोड़ रूपये के उजरती कार्य लाभ (पी॰डबल्यू॰पी) को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। इसके अतिरिक्त सभी चार फैक्टरियों में अप्रत्यक्ष कर्मचारियों को (पी॰डबल्यू॰पी॰ के लिए अनुपयुक्त) दिये गए पी॰डबल्यू॰पी॰ के भुगतानों पर भी ध्यान दिया गया।

वाहयश्रोतिकरण के बावजूद भी अनुमानों के आधार पर अंतर्वर्ती आई॰ई॰ को भुगतान किए गए जिसमें से वाहयश्रोतिकृत तत्व को (एस॰एम॰एच॰ के रूप में) व्यकलित नहीं किया गया था। इसके कारण 2012-13 से 2014-15 के दौरान प्रतिदर्श मदों के लिए दो फैक्टरियों में आई॰ई॰ को ₹10.94 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

(पैराग्राफ 7.3)

निर्माण अधिपत्रों का प्रबंधन

निर्माण अधिपत्र फैक्ट्री को दिये गए कार्य के उत्तरदायित्व के श्रम के परिनियोजन के लिए उत्पादन कारखाने के आयुध फैक्ट्री प्रबंधन का प्राधिकार है। यह अनुमान पर आधारित आदेशित परिमाणों के निर्माण के लिए आवश्यक प्राधिकृत मानक श्रम घंटों (एस॰एम॰एच) के संख्या को अभिलेखित करता है।

अपने मुद्दे के अनुबंधित छह: महीनों से अधिक अनावश्यक लंबे अवधि के लिए अधिपत्रों को खुला रखने पर अनाधिकृत समायोजन को अनुमति देने का पूरा खतरा रहता है। चार प्रतिदर्श फैक्टरियों में 2012-13 और 2014-15 के दौरान जारी एवं लेखा परीक्षा में 693 प्रतिदर्शित अधिपत्रों में से केवल 189 (27 प्रतिशत) को छह: महीनों की अवधि में बंद किया गया था। जबकि अनुबंधित अवधि के पश्चात बचे हुये 403 (80 प्रतिशत) अधिपत्रों को बंद किया गया था, वहीं 101 अधिपत्र (15 प्रतिशत) अभी भी खुले हुये थे तथा समापन की प्रतीक्षा (मार्च 2015)

कर रहे थे। खुले अधिपत्र फैक्टरियों को स्थानांतरण वाउचरों के द्वारा अन्य अधिपत्रों के लिए अतिरिक्त श्रम को लेना या अतिरिक्त सामग्री का स्थानांतरण या अधिपत्रों के लिए अस्वीकृतियों के फैलाव (साधारण अस्वीकृत सीमाओं के भीतर रखने के लिए) के लिए अवसर प्रदान करते हैं। आवश्यक आंतरिक नियंत्रणों का अनुगमन न करते हुये फैक्टरियों में स्थानांतरण वाउचरों का प्रयोग किया जा रहा था।

(पैराग्राफ7.4)

दोषयुक्त रेडिएटर्स की अधिप्राप्ति

भारी वाहन फैक्ट्री (एच यू वी) अवाडी ने, टी-90 में संयोजित होने वाले टैंकों के रेडिएटर्स के लिए एक ऐसी फर्म को आदेश प्रस्तुत किया जिसे आवश्यक रेडिएटर्स के निर्माण का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। फैक्ट्री ने, ₹2.78 करोड़ मूल्य के रेडिएटर, जो कि निर्धारित तकनीकी आवश्यकता को पूरा नहीं करते थे, को स्वीकृत कर लिया जिसके कारण टी-90 टैंक, जिनमें ये रेडिएटर संयोजित थे, थलसेना द्वारा अस्वीकृत कर दिये गए।

(पैराग्राफ7.5)

अपूर्ण अन्वेषण में विलंब के कारण खाली फ्यूज़ ए-670 एम के अस्वीकृति के लिए ₹ 31.32 करोड़ की परिहार्य हानि

2008-09 से दो फैक्ट्रियों में खाली फ्यूज़ ए-670 एम के उत्पादन में बारंबार असफलता के बावजूद भी ओ॰एफ़॰ बोर्ड ने अप्रैल 2014 में ही संयुक्त दल का गठन किया जो जुलाई 2016 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सका। इस दौरान उत्पादन जारी रहा और जुलाई 2016 तक दो फैक्ट्रियों में ₹31.32 करोड़ मूल्य के खाली फ्यूज़ ए-670 एम अस्वीकृत रूप में पड़े रहे।

(पैराग्राफ7.6)

टैंक टी - 72 के बी.एल.टी. रूपांतर के उत्पादन में विलंब

मांगपत्र के अनुसार, 2012-17 के दौरान चरणबद्ध रूप में एच॰वी॰एफ॰ आवडी से टी-72 ब्रिज लेंइंग टैंकों (बी॰एल॰टी॰) के रूपांतरों की आपूर्ति पूर्वनिर्धारित थी। बुनियादी ढाँचे की परियोजना की पूर्णता में देरी एवं टी-72 बी॰एल॰टी॰ की मुहरबंद डिजाइन में बार-बार किए जाने वाले परिवर्तनों के कारण एच॰वी॰एफ॰, टी-72 बी॰एल॰टी॰ रूपांतरों का उत्पादन अब तक शुरू नहीं कर सका एवं इसलिए कवचित रेजीमेंटों के प्रगामी टैंक स्तंभ इस सीमा तक अपूर्ण रहे।

(पैराग्राफ 7.9)